



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226162
CG-DL-E-26032021-226162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 164]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सं. 15/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 213(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “टायरों के लिए टायर क्यूरिंग प्रेस जिसे टायर बलकानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है, जिसमें क्यूरिंग बाईसाईकिल टायरों के लिए 6 डे लाइट बाईसाईकिल टायर्स क्यूरिंग प्रेसों शामिल नहीं है” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के 8477 51 00 अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 632 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका

आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/37/2020-डीजीटीआर, दिनांक 26 फरवरी, 2021, जिसे दिनांक 26 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 362 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, नोट से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा”

[फा. सं. 354/38/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 362(अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

No. 15/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 213(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/37/2020 – DGTR, dated the 26th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th February, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres, excluding Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under 8477 51 00 of the First Schedule

to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Peoples' Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 362 (E), dated the 29th March, 2016 and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 362 (E), dated the 29th March, 2016, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, before the Note, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 30th September, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F.No. 354/38/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 362 (E), dated the 29th March, 2016.